:: सार्वजनिक सूचना ::

क्रमांक: 3/3/4/02/2026-1-01(GAD)   भोपाल, दिनांक: 21/05/2026

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भरती परीक्षाओं को संचालित करने के लिये नवीन प्रारूप नियमों पर जन-परामर्श

एतद् द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा ''मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम, 2026" अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है ।

2. प्रस्तावित नियमों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न है एवं विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

3. प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो, तो वे दिनांक **05 जून 2026** तक लिखित रूप में अपने सुझाव ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते है एवं gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं।

4. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(अजय कटेसरिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम, 2026

मध्यप्रदेश शासन के विभागों के अन्तर्गत सेवा / पदों पर भरती के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 335 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत्त होने का दिनांक - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम, 2026" है।

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,:-

(क) “आयोग” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ख) “परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा;

(ग) “भूतपूर्व सैनिक” से अभिप्रेत है, “मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और पदों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी प्रवर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1985” में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक;

(घ) “शासन” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;

(ड.) ‘’आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ‘’ से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/ 2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग;

(च) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि जिसके लिये परीक्षा के लिये विज्ञापन जारी किया गया हो;

(ज) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेश के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(झ) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है कोई जनजातियों या जनजाति से अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ञ) "दिव्यांगजन " से अभिप्रेत है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के उपबंधों के अनुसार परिभाषित दिव्यांगजन;

(ट) “राज्य” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ठ) “अनुभव” से अभिप्रेत है, विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के पश्चात् प्राप्त किया गया पूर्णकालिक कार्य अनुभव;

3. विस्तार.- (1) ये नियम राज्य शासन के सभी विभागों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले समस्त पदों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. विभाग/ उपक्रमों के किसी भरती वर्ष के लिये मांग पत्र;- (1) सभी विभागों के ऐसे समस्त पदों के लिए, जो कि भरती वर्ष में विज्ञापित किये जाने है, की जानकारी मांग पत्र आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भरती वर्ष की 30 सितम्बर तक भेजी जायेगी।

(2) विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के पदों की भरती हेतु मांग पत्र उनके प्रशासकीय विभाग द्वारा ही भेजे जायेंगे।

5. संयुक्त भरती परीक्षा – (1) विभिन्न पदों / सेवा समूह के लिये आयोग द्वारा संयुक्त भरती परीक्षा निम्नानुसार अनुसार आयोजित की जायेगी:-

क्र.	संयुक्त परीक्षा का प्रकार	पदों का विवरण	परीक्षा के स्तर
1.	राज्य सेवा परीक्षा / राज्य वन सेवा परीक्षा	अनुसूची 1 के अनुसार	तीन
2.	समूह दो- अभियांत्रिकी योग्यता समूह	अनुसूची 2 के अनुसार	दो
3.	समूह तीन- उच्च शिक्षा समूह	अनुसूची 2 के अनुसार	दो
4.	समूह चार - स्वास्थ्य समूह	अनुसूची 2 के अनुसार	दो
5.	समूह पांच- सामान्य स्नातकोत्तर एवं स्नातक समूह	अनुसूची 2 के अनुसार	दो

(2) विभागों द्वारा उनके विभाग में उपलब्ध पदों को उपरोक्त समूहों में विभाजित किया जाएगा तथा इन समूहों के अनुसार ही आयोग को भरती प्रक्रिया किए जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा।

(3) उपरोक्त समूहों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से भरती किए जाने के लिए सम्बंधित विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की लिखित पूर्वानुमति के बाद ही मांग पत्र आयोग को प्रेषित किया जा सकेगा।

(4) आयोग को यह अधिकार होगा कि वह भरती हेतु पदों को सम्बंधित परीक्षा में सम्मिलित कर सकें।

(5) अभ्यर्थी को भरती नियमों के अनुसार शारीरिक उपयुक्तता के मापदण्ड पूर्ण करना एवं शारीरिक परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

6. परीक्षा का आयोजन: (1) समस्त परीक्षाएं आयोग द्वारा विहित किए गए कार्यक्रम एवं नियम के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार आयोजित की जाएगी।

(2) आयोग द्वारा समस्त परीक्षाओं के लिये परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम तथा शुल्क विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

7. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना:- (1) आयोग द्वारा प्रत्येक परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया जायेगा, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, न्यूनतम अर्हता, परीक्षा के स्वरूप एवं अन्य जानकारी होगी। आवेदन का प्रारूप आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र भरते समय अर्हता के अनुसार पद एवं विभाग के लिये प्राथमिकता अंकित करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को समस्त उपलब्ध पदों के लिये विकल्प भरना अनिवार्य होगा जिसमें कतिपय पदों के लिये विचार नहीं किये जाने का विकल्प सम्मिलित होगा। चयन सूची में स्थान प्राप्त करने की स्थिति में अभ्यर्थी को उसके द्वारा अंकित की गई प्राथमिकता एवं मेरिट क्रम के अनुसार पद एवं विभाग का आवंटित किया जायेगा।

(3) ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं अथवा विहित प्रारूप में नहीं हैं अथवा जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है अथवा जिनमें मिथ्या या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई हो, किसी भी स्तर पर निरस्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(4) परीक्षा के आवेदन पत्र विज्ञापन में विहित की गयी प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद आवेदन पत्र की किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन की अनुमति आयोग द्वारा विज्ञापित प्रक्रिया के अतिरिक्त नहीं दी जाएगी।

8. आयु सीमा – (1) आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं निर्देश लागू होंगे।

(2) यदि किसी विभाग को कतिपय सेवाओं के लिये विशेष आयु सीमा लागू करना है तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से विशेष छूट हेतु आदेश प्राप्त किये जाने उपरान्त ऐसी आयु सीमा लागू की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण: आयु सीमा से सम्बंधित समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी वर्ग/प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी।

(3) आयु की गणना, भरती वर्ष (विज्ञापन वर्ष) के आगामी वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति में की जाएगी।

उदाहरण: यदि विज्ञापन को वर्ष 2025 की किसी भी तिथि में जारी किया जाता है तो उस परीक्षा हेतु आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के अनुसार होगी ।

स्पष्टीकरण: केवल वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो अभ्यर्थी की हाईस्कूल (10वी) अथवा समकक्ष अंकसूची में अभिलिखित होगी। आयु संबंधी कोई अन्य दस्तावेज जैसे- शपथ पत्र, जन्म-पत्री, जन्म प्रमाण पत्र आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

9. पात्रता एवं अपात्रता की शर्तें: पात्रता एवं अपात्रता मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के अनुसार होंगी।

10. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता: इस नियम में अधिसूचित परीक्षा हेतु सम्बंधित पद के भरती नियम में किसी भी प्रावधान के होते हुए भी अर्हता निम्नानुसार होगी:-

(एक) राज्य सेवा परीक्षा हेतु:- केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समतुल्य अर्हता।

(दो) राज्य सेवा परीक्षा के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं हेतु अर्हता वही होगी जो संबंधित पद के भरती नियम में प्रावधानित है।

11. राज्य सेवा परीक्षा: (1) आयोग द्वारा अनुसूची 1 में वर्णित सेवाओं / पदों पर भरती के लिए "राज्य सेवा परीक्षा" के नाम से एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(2) राज्य सेवा परीक्षा में निम्न अनुसार तीन क्रमिक स्तर होंगे:-

(I) **<u>प्रारंभिक परीक्षा:</u>** (एक) प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में अर्हत होने हेतु अभ्यर्थियों को लघुसूचीकृत करने के लिए परीक्षा योजना के अनुसार संचालित की जाएगी।

(दो) प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी तथा अंतिम चयन के स्तर पर इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना नहीं की जाएगी।

(तीन) प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 20 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए मुख्य परीक्षा में भाग लेने हेतु उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, कि उन्होंने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किये हों, जितना आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(II) **<u>मुख्य परीक्षा:</u>** (एक) मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकरण करने के लिए परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी तथा यह परीक्षा वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

(दो) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(तीन) अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अर्जित करना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। अन्य समस्त अहर्ताओं के संबंध में प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा अन्य) प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण: न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरांत परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा परन्तु मुख्य परीक्षा के आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की स्थिति में अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होगा।

(चार) मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार/प्रवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के ढाई से तीन गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा, यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त किए हों। इसके

अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थी जो अपने संबंधित वर्ग अथवा प्रवर्ग के "कट आफ अंकों" के बराबर अंक प्राप्त करते हैं साक्षात्कार हेतु अर्हत घोषित कर साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत किए जाएंगे:

परन्तु किसी परीक्षा विशेष में ढाई गुना की संख्या पर विद्यमान अभ्यर्थियों के 'कट आफ अंकों' के बराबर अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को लघुसूचीकृत किये जाने से कुल संख्या तीन गुना से अधिक होने की विशेष परिस्थिति में तीन गुना से अधिक अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत किया जा सकेगा।

(III) **<u>साक्षात्कार</u>:** साक्षात्कार में मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित केवल ऐसे अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे जिन्हें नियम 20 अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा के आधार पर पात्र पाया गया है।

(2) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर किया जाएगा। किसी भी स्तर पर अनुपस्थित अभ्यर्थी चयन के लिए अपात्र हो जाएंगे।

12. दो चरण की परीक्षा: (1) ऐसी परीक्षाओं के लिए "लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार" आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर किया जाएगा। किसी भी स्तर पर अनुपस्थित अभ्यर्थी चयन के लिए निरर्हित हो जाएंगे।

(2) **<u>लिखित परीक्षा</u>:** (I) ऐसी परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(II) अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अर्जित करना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। अन्य समस्त अहर्ताओं के संबंध में प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा अन्य) लिखित परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी होना अनिवार्य है।

(III) लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार/प्रवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के ढाई से तीन गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा, यह अनिवार्य होगा कि

अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त किए हों। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थी जो अपने संबंधित वर्ग / प्रवर्ग के "कट आफ अंकों" के बराबर अंक प्राप्त करते हैं साक्षात्कार हेतु अर्हत घोषित कर साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत किए जाएंगे:

परन्तु किसी परीक्षा विशेष में ढाई गुना की संख्या पर विद्यमान अभ्यर्थियों के 'कट आफ अंकों' के बराबर अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को लघुसूचीकृत किये जाने से कुल संख्या तीन गुना से अधिक होने की विशेष परिस्थिति में तीन गुना से अधिक अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत किया जा सकेगा।

(3) **साक्षात्कार:** साक्षात्कार में मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित केवल ऐसे अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे जिन्हें नियम 20 अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा के आधार पर पात्र पाया गया है।

(4) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर किया जाएगा।

13. एक चरण की परीक्षा: (1) यदि किसी विज्ञापित पद के लिये तीन गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं, तब आयोग को यह अधिकार होगा कि वह नियम 20 के अनुसार संवीक्षा कर समस्त पात्र अभ्यर्थियों का सीधे साक्षात्कार कर सकेगा । ऐसा चयन केवल साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा, इसके लिये लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

(2) यदि विभागीय भर्ती नियम में सीधे साक्षात्कार से चयन किया जाना प्रावधानित है एवं आयोग द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् अभिलेख प्रेषण की अंतिम तिथि निर्धारित कर अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख प्राप्त किये जा सकेंगे । अभ्यर्थियों की उच्चतर योग्यता, उनके अनुभव एवं शैक्षणिक परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित कर चयन कार्य सम्पादित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14. तीन चरणों की परीक्षा में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा तथा दो चरणों की परीक्षा में लिखित परीक्षा के परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया: (1) प्रथमतः अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी भी सामान्य गुणानुक्रम के आधार पर शामिल किए जाएंगे, जिन्होंने संबंधित आरक्षित वर्ग को दिए जाने वाले शिथिलीकरण का लाभ नहीं लिया हैं। परीक्षा शुल्क में छूट लाभ नहीं माना जाएगा । आयु-सीमा, अंकों में छूट एवं आवश्यक अर्हता में प्राप्त छूट को रियायत माना जाएगा ।

(2) द्वितीयतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग की पृथक-पृथक सूचियां तैयार की जाएंगी।

(3) महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों को इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार सभी प्रवर्गों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित संख्या के अनुपात में महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) (I) दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों (अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित / बहुविकलांग) के दिव्यांगजन हेतु विज्ञापित पदों के लिए हेतु सफल घोषित किए जाएंगे।

(II) महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के क्षैतिज आरक्षण में सफल अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम होने पर उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया जाएगा ।

(5) उपरोक्त सूचियां तैयार किए जाने के पश्चात् अगले चरण हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार संयुक्त सूची बनाई जाएगी तथा जिसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

15. अंतिम चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया: (1) सर्वप्रथम अनारक्षित सूची तैयार की जाएगी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी परीक्षा के समस्त चरणों पर

अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसका चयन अनारक्षित सूची में किया जाएगा।

परंतु यदि आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी के द्वारा आयु सीमा अथवा परीक्षा के किसी भी स्तर पर किसी अर्हता अथवा अर्हकारी अंकों के संबंध में कोई छूट प्राप्त कि गई हो तो उस चरण के पश्चात समस्त चरणों एवं अंतिम चयन के लिये उसकी गणना आरक्षित प्रवर्ग में ही की जायेगी।

परन्तु यह भी कि यदि आरक्षित प्रवर्ग के चयनित अभ्यर्थी को सेवा के आवंटन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए उच्चतर प्राथमिकता का पद प्राप्त करता है तो उसकी गणना आरक्षित प्रवर्ग में ही की जायेगी।

(2) इसके उपरान्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग की पृथक-पृथक सूचियां तैयार की जाएंगी।

(3) महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों को सभी प्रवर्गों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित संख्या के अनुपात में महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को सूची में शामिल किया जाएगा।

(I) दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों (अस्थिबाधित/ दृष्टिबाधित/ श्रवणबाधित/ बहुविकलांग) के लिए विज्ञापित पदों हेतु केवल उस श्रेणी के दिव्यांगजनों को चयनित किया जाएगा।

(II) दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो प्रावीण्यता के आधार पर अपने वर्ग में चयनित हो चुके हैं, की गणना दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों में की जाएगी।

(III) दिव्यांगजन श्रेणी के शेष रिक्त पदों पर विभिन्न प्रवर्गों में जिससे कि वे संबंधित हैं संबंधित प्रवर्ग के न्यूनतम प्रावीण्यता वाले अभ्यर्थियों को हटाकर समायोजित किया जाएगा।

(IV) महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के क्षैतिज आरक्षण में सभी प्रवर्गों की सूची में सफल अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम होने पर उक्त श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्रावीण्यता वाले अभ्यर्थियों को हटाकर समायोजित किया जाएगा।

(4) यदि क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित में की

जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में क्षैतिज आरक्षण संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा।

(5) अभ्यर्थी द्वारा दिये गये प्राथमिकताओं के आधार पर पहले उसके पहली प्राथमिकता के अनुसार मेरिट आवंटन किया जायेगा । पहली प्राथमिकता में मेरिट आवंटन नहीं होने की स्थिति में दूसरी प्राथमिकता में मेरिट आवंटन किया जायेगा । यह प्रक्रिया निरंतर अंतिम प्राथमिकता तक दोहराई जायेगी।

16. प्रावीण्यता क्रम: अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर निम्नलिखित अनुसार क्रम में प्रावीण्यता निर्धारित की जायेगी:

1. लिखित/मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर।
2. लिखित/मुख्य परीक्षा के भी अंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अर्थात् अधिक आयु के अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा ।
3. उपर्युक्त क्रम में आयु भी समान होने पर अर्हकारी परीक्षा के अंकों के आधार पर।
4. उपरोक्त से अन्य परिस्थितियों में आयोग को निर्णय का अधिकार होगा।

परन्तु दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक परस्पर समान होने पर उनके दिव्यांगता के प्रतिशत के क्रम में प्रवर्गवार प्रावीण्यता निर्धारित की जायेगी। दिव्यांगता का प्रतिशत समान होने पर उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 3 के अनुक्रम में प्रावीण्यता निर्धारित की जाएगी।

17. अनुपूरक सूची: (1) मुख्य सूची की विधि मान्यता आयोग की अनुशंसा तिथि से 06 माह तथा अनुपूरक सूची की विधि मान्यता मुख्य सूची के अतिरिक्त 06 माह होगी।

(2) आयोग, इस संबंध में संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुख्य सूची अथवा अनुपूरक सूची की विधि मान्यता की कालावधि को अधिकतम 03 माह तक के लिए वृद्धि कर सकेगा:

परन्तु सम्बंधित पद की परीक्षा का आगामी वर्ष का विज्ञापन जारी होने के पश्चात् अनुपूरक सूची की विधि मान्यता में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

(3) मुख्य सूची अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण करने उपरान्त पद रिक्त करने की स्थिति में विभाग द्वारा विधि मान्यता अवधि में आयोग से अनुपूरक अनुशंसा प्राप्त कर ऐसी रिक्ति को अनुपूरक सूची से भरा जा सकेगा।

18. दस्तावेजों की संवीक्षा: (1) आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों से उनके आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित अनुप्रमाणन-पत्र एवं अर्हता से संबंधित अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि घोषित की जाएगी । समस्त अर्हत अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि अंतिम तिथि के पूर्व उपरोक्त समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की संवीक्षा करने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्राविधिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी आयोग द्वारा अधिसूचित अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व अनुप्रमाणन-पत्र तथा अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, या आंशिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) केवल अभ्यर्थी को परीक्षा प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने मात्र से उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम रूप / अप्रतिसंहरणीय रूप से स्वीकार नहीं हो जायेगी। यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर सत्यापन के पश्चात् यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की कोई शर्तें पूर्ण नहीं करता है या असत्य / त्रुटिपूर्ण जानकारी देता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी एवं उसे भविष्य की परीक्षाओं के लिये निषेध भी किया जा सकेगा ।

(3) उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण या अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अद्यतन प्रमाण-पत्र जो संवीक्षा तिथि पर वैध हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता

है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी का संवीक्षा दिनांक पर भी वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(5) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार दिवस को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्र मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है उसके द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के मूल अभिलेख से मिलान के अभाव से उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(6) भूतपूर्व सैनिक के रूप में आयु में रियायत का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने विगत मंत्रालय / कार्यालय से प्राप्त मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारम्भ होने तथा सेवामुक्त होने की तिथियां दर्शाई गई हों।

(7) अभिलेखों की संवीक्षा में अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के स्थान पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

19. आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट की पात्रता: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण, आयु सीमा अथवा अन्य लाभ/छूट केवल मध्यप्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के निवासी समस्त अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में ही पात्रता रखेंगे।

20. नियुक्ति का अधिकार एवं राज्य शासन द्वारा जांच: (1) परीक्षा में सफल होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। राज्य शासन रिक्तियों की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से नियुक्ति से अस्वीकार भी कर सकता है।

(2) आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर, शासन अभ्यर्थियों के बारे में ऐसी जाँच करेगा, जैसा कि वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि, वे संबंधित

पद पर नियुक्ति के लिये सभी तरह से उपयुक्त है। शासन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने/न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21. कदाचरण और उसके लिए कार्रवाई: कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है :-

(क) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या

(ख) प्रतिरूपण किया हो या छल किया हो, या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो, या

(घ) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ड) ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हो या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या राज्य शासन द्वारा अधिसूचित नकल विरोधी कानून का उल्लंघन किया हो, या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारी वृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या

(झ) उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी वृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो, या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(ट) परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत निरीक्षक (इनविजिलेटर) के पास उसकी उत्तरपुस्तिका जमा करने में असफल रहता है या उत्तरपुस्तिका को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाता है, या

(ठ) परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्न-पत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उर्पयुक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

(चार) अन्य परिस्थितियों में निर्णय लेने का आयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा

22. परीक्षा पाठ्यक्रम का निर्धारण: आयोग को यह अधिकार होगा की वह सामान्य प्रशासन विभाग एवं सम्बंधित विभाग जिसके लिये भरती की जा रही है के साथ परामर्श के उपरान्त किसी भी पद के लिये परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकेगा, एक से अधिक पदों/परीक्षाओं के लिये सामान पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकेगा एवं पूर्व से निर्धारित पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकेगा।

23. परीक्षा केन्द्र का आवंटन: आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह आवेदन पत्र में दिए गए अधिमान को दृष्टि में रख कर अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटित करें या न करें। आयोग के लिए यह आवश्यक एवं बंधनकारी नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र ही उसे आवंटित करें। परीक्षा केन्द्रों की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रखते हुए आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे।

24. अंकसूची तथा परीक्षा के कटऑफ अंक: (1) समस्त परीक्षाओं के सभी चरणों के वर्गवार/प्रवर्गवार कटऑफ अंक एवं अंकसूचियाँ अंतिम चयन परिणाम

घोषित किए जाने के पश्चात् आयोग द्वारा प्रकाशित की जायेगी । चयन प्रक्रिया के मध्य में प्राप्तांक तथा कटऑफ अंक घोषित नहीं किए जाएंगे।

(2) किसी भी परीक्षा में प्राप्त अंको की पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के पूर्व चयन प्रक्रिया के संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी।

25. अनुशंसा एवं नियुक्तिः अंतिम चयन सूची अनुसार आयोग द्वारा विभागों को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा-पत्र संबंधित विभागों को प्रेषित किए जाएंगे । नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाही संबंधित विभाग के स्तर पर सम्पादित की जाएगी।

26. नियमों का निर्वचन: (1) यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो वह शासन के, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

27. हिन्दी की अधिमान्यता: उपरोक्त नियमों के हिन्दी तथा अंग्रेजी भाग में किसी संशय या अंतर की स्थिति में हिन्दी भाग में अधिसूचित नियम मान्य होंगे ।

28. विज्ञापन तथा उपनियम: आयोग के विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान इन नियमों में उल्लेखित न होने पर भी विधि मान्य होंगे । आयोग इन नियमों के अतिरिक्त उपनियम बनाने हेतु सशक्त है:

परन्तु यदि कोई उपनियम अथवा विज्ञापन का कोई बिंदु इन नियमों के विपरीत है तो ऐसी स्थिति ये नियम ही प्रभावशील होंगे ।

29. विनष्टीकरण: अंतिम चयन सूची जारी होने के एक वर्ष पश्चात् न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों को छोड़ कर समस्त अभिलेखों को विनष्ट किया जाएगा।

30. निरसन तथा व्यावृत्ति: इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

31. विभागीय भरती नियमों में संशोधनः- समस्त विभागों द्वारा राज्य लोक सेवाओं एवं पदों के लिये भरती को विनियमित करने वाले समस्त भरती नियम इन नियमों के उपबंधों के अनुसार संशोधित किए जायेंगे एवं ऐसा संशोधन होने तक समस्त विभागीय भरती नियम इन नियमों में यथा-उपबंधित सीमा तक संशोधित किये गये समझे जाएंगे।

अनुसूची-1

क्रमांक	सेवा /पद का नाम	विभाग का नाम	पद की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राज्य प्रशासनिक सेवा (उप जिलाध्यक्ष)	सामान्य प्रशासन विभाग	द्वितीय
2.	पुलिस उप अधीक्षक	गृह विभाग	द्वितीय
3.	जिला सेनानी, नगर सेना	गृह विभाग	द्वितीय
4.	अधीक्षक, जिला जेल	जेल विभाग	द्वितीय
5.	राज्य वित्त सेवा (कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी / लेखाधिकारी / सहायक संचालक)	वित्त विभाग	द्वितीय
6.	सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	वित्त विभाग	द्वितीय
7.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग	द्वितीय
8.	जिला आबकारी अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग	द्वितीय
9.	जिला पंजीयक	वाणिज्यिक कर विभाग	द्वितीय
10.	रोजगार अधिकारी	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	द्वितीय
11.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	परिवहन विभाग	द्वितीय
12.	सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटी	सहकारिता विभाग	द्वितीय
13.	श्रम अधिकारी (मुख्य निरीक्षक मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम,1961)	श्रम विभाग	द्वितीय

14.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी “ख”	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	द्वितीय
15.	सहायक संचालक	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	द्वितीय
16.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत / अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	द्वितीय
17.	विकास खण्ड अधिकारी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	द्वितीय
18.	सहायक संचालक	जनसंपर्क विभाग	द्वितीय
19.	जिला संयोजक	जनजातीय कार्य विभाग	द्वितीय
20.	क्षेत्र संयोजक	जनजातीय कार्य विभाग	द्वितीय
21.	सहायक संचालक, खाद्य/जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	द्वितीय
22.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/सहायक संचालक	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय
23.	मुख्य निर्देशिका, (आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र)	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय
24.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय
25.	विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय
26.	सहायक संचालक, (प्रशासन)	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	द्वितीय
27.	सहायक संचालक	स्कूल शिक्षा विभाग	द्वितीय
28.	नायब तहसीलदार	राजस्व विभाग	द्वितीय

तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)			
1.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वाणिज्यिक कर विभाग	तृतीय
2.	आबकारी उप निरीक्षक	वाणिज्यिक कर विभाग	तृतीय
3.	उप पंजीयक	वाणिज्यिक कर विभाग	तृतीय
4.	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	राजस्व विभाग	तृतीय
5.	परिवहन उप निरीक्षक	परिवहन विभाग	तृतीय
6.	सहकारिता निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी	सहकारिता विभाग	तृतीय
7.	सहायक श्रम अधिकारी	श्रम विभाग	तृतीय
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	तृतीय
9.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	म.प्र. लोक सेवा आयोग	तृतीय

(ब) राज्य वन सेवा परीक्षा

क्रमांक	**सेवा /पद का नाम**	**विभाग का नाम**	**सेवा / पद का संवर्ग**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक वन संरक्षक	वन विभाग	द्वितीय
2.	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग	द्वितीय
3.	परियोजना क्षेत्रपाल	वन विकास निगम	द्वितीय

अनुसूची - 2

क्र.	संयुक्त परीक्षा का प्रकार	पदों का विवरण	
1.	समूह दो-अभियांत्रिकी योग्यता समूह	लोक निर्माण विभाग	1. सहायक यंत्री (सिविल) 2. सहायक यंत्री (विद्युत) 3. सहायक यंत्री (यांत्रिकी)
		जल संसाधन विभाग	1. सहायक यंत्री (सिविल) 2. सहायक यंत्री (विद्युत) 3. सहायक यंत्री (यांत्रिकी)
		लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	1. सहायक यंत्री (सिविल) 2. सहायक यंत्री (विद्युत) 3. सहायक यंत्री (यांत्रिकी)
		नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	1. सहायक यंत्री (सिविल) 2. सहायक यंत्री (विद्युत) 3. सहायक यंत्री (यांत्रिकी)
		किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निर्देशक
		ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग	सहायक यंत्री (सिविल)
		ऊर्जा विभाग	1. सहायक यंत्री (सिविल) 2. सहायक यंत्री (विद्युत)
		लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	सहायक यंत्री (सिविल)

			मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	1. सहायक यंत्री (सिविल) 2. सहायक यंत्री (विद्युत)
			तकनीकी शिक्षा ,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	1. प्राचार्य वर्ग-1 2. उप संचालक 3. प्राचार्य वर्ग-2 4. व्याख्याता (आईटीओटी)
			औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	1. निरीक्षक बायलर ग्रेड- I 2. निरीक्षक बायलर ग्रेड- II
			कुटीर एवं ग्रामोधोग विभाग	1. सहायक संचालक ग्रामो. (तकनीकी)
			वित्त विभाग	1. प्रोग्रामर 2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर
			वाणिज्यिक कर विभाग	1. सहायक प्रोग्रामर 2. सिस्टम एनालिस्ट
			परिवहन विभाग	1 परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी)
			गृह विभाग	1. उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)
			मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	1. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 2. कम्प्युटर प्रोग्रामर 3. सहायक प्रोग्रामर
2.	समूह तीन-उच्च शिक्षा समूह		उच्च शिक्षा विभाग	1. सहायक प्राध्यापक (समस्त विषय)
				2. ग्रंथपाल परीक्षा
				3. क्रीडा अधिकारी परीक्षा

3.	समूह चार - स्वास्थ्य समूह	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	1. दन्त चिकित्सक
			2. खाद्य विश्लेषक
			3. औषधी विश्लेषक
			4. सहायक प्रबंधक
			5. लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक
		श्रम विभाग	दन्त चिकित्सक
		आयुष विभाग	आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी
		पशुपालन एवं डेयरी विभाग	सहायक संचालक/पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा
4.	समूह पांच- सामान्य स्नातकोत्तर समूह	खनिज संसाधन विभाग	खनिज अधिकारी परीक्षा
			सहायक भौमिकविद् परीक्षा
		खेल एवं युवक कल्याण विभाग	म.प्र. खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा
		गृह विभाग	वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान) परीक्षा
		किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	सहायक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) परीक्षा
		सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	सहायक संचालक संवर्ग (सामाजिक न्याय) परीक्षा

			उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	सहायक संचालक (उद्यान) परीक्षा	
			म0प्र0 गृह निर्माण मंडल	शाखा अधिकारी /संपदा प्रबंधक परीक्षा	
			खनिज संसाधन विभाग	खनि निरीक्षक परीक्षा	
			वित्त विभाग	कराधान सहायक परीक्षा	